

11-11-21

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
कैम्प ग्राम पंचायत

Form No-|||

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम रायसिंहनगर

सुनील कुमार लोवाला बनाम सरकार

किस्म युक्तदमा 136 एल आर एक्ट

नम्बर 307 सन् 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021 /

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जों इस हुक्म की तामील में जारी किए
11-11-2021	<p>तहसीलदार भू.अ./ नायब तहसीलदार रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ. दिनांक 11-11-2021 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत में प्रार्थी के नाम चक की जमाबंदी सम्वत् के खाता सं. में के खाता सं. में के स्थान पर की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं।</p> <p>प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार के आधार पर वाके चक की जमाबंदी सम्वत् के खाता सं. में के स्थान पर की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
मुकाम लोवाला

